माँ प्रेमा भगवती एजुकेशनल ट्रस्ट

दिनांक : ....

कुल सचिव कार्यालय
संख्या 673
दि० 24/04/25
लखनऊ-226007

सेवा में,

श्रीमान् कुल सचिव

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय : ल0वि0वि0 लखनऊ के पोर्टल पर संस्थान में प्राचार्य एवं अन्य सहायक अध्यापक के विज्ञापन हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय मां प्रेमा भगवती डिग्री कॉलेज डिग्री कालेज, कसमण्डी कला मलिहाबाद, लखनऊ में प्राचार्य एवं सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त ल0वि0वि0ल0 के पोर्टल में उक्त विषयक विज्ञापन की प्रकाशित करने की कृपा करें।

धन्यवाद सहित !

भवदीया

(अनीता सिंह प्रधान)

प्रबन्धक

मां प्रेमा भगवती डिग्री कॉलेज, कसमण्डी कला,

मलिहाबाद, जनपद लखनऊ

मो0नं0–

इंचार्ज (विज्ञापन)

24.4.25

कसमंडी कलां, मलिहाबाद, लखनऊ

... दुग्धवेल्ल ...

... जिससे पानी लेने के ... बंद हो गई ... [illegible] ... दुग्धवेल्ल की ...

... तक दुग्धवेल्ल सही न होने पर ... [illegible]

... [illegible] ... दुग्धवेल्ल ... काम ... [illegible]

...ई ने तथ्यों को छिपाकर याचिका दायर
...ने वालों पर ठोका 25 लाख हर्जाना

...। हाईकोर्ट की लखनऊ ... [illegible] ... करने वाले याचियों पर 25 लाख ... कोर्ट ने याचियों के घर की ... गई नीलामी और ट्रांसफर को ... कर दी। न्यायमूर्ति ... की एकल ... मनीता निषाद और उनके ... दिया।

...र्फ इस चुनौती को तथ्यों के ... तथ्यों को जानबूझकर छुपाने के कारण याचिकाकर्ताओं पर ...णात्मक जुर्माना भी लगाया। ...रिट क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग ...लामी खरीददार को वैध कब्जा ... गया। कोर्ट ने ऋण वसूली ...इलाहाबाद के उस आदेश को ...लखनऊ के इंदिरा नगर विस्तार ...कर्ताओं के मकान की नीलामी ...या गया था।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने रिश्तेदार द्वारा लिए गए 90 लाख के कर्ज ... की गारंटी देने ... मकान पर बंधक ... पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन बाद में वे अपने गारंटर होने की भूमिका से मुकर गए और ... [illegible] ... दलीलें दीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 25 लाख हर्जाना लगाकर इसे एक महीने के भीतर ... वसूल करने का आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता ... [illegible] ... की ओर से ... [illegible] ... का विरोध किया।

M.P.B. डिग्री कालेज

ग्रा. ... [illegible] ..., पो. मलिहाबाद, जनपद लखनऊ

आवश्यकता है

प्राचार्य ... पद ... [illegible] ... हेतु

... [illegible] ... अंग्रेजी ... इतिहास, हिन्दी ... पॉलिटिकल ... [illegible] ...

... [illegible] ... एवं ... [illegible] ...

... [illegible] ... के

वेतन एवं ... [illegible]

मानक ... [illegible]

आवेदन 20 अप्रैल तक ... [illegible] ... E-mail ID:mpbpublic@gmail.com

... [illegible] ... मो. न. 8081619759

प्रबंधक ... [illegible] ... सिंह प्रधान

...रेणुका शुक्ला को 24 जनवरी
...किया गया है। पिपरसंड के ग्राम
...ग्रामीणों की ओर से 1 मार्च को
...शिकायत दर्ज कराई है। सरोजनीनगर
...की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

...ने चलाया हथौड़ा

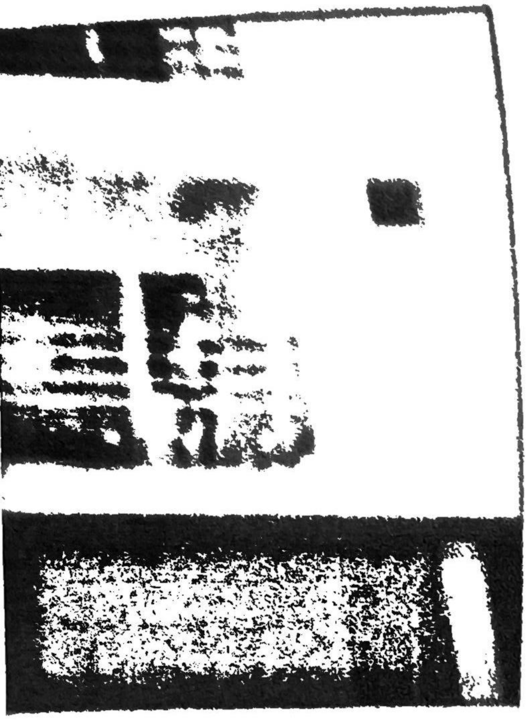

...अतिक्रमण जारी होने के बाद भी बिल्डर ने काम
...कर दिया जिसके चलते यह सख्त कदम
...देर रात में शुरू हुई इस कार्रवाई के
...भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि किसी
...किया जा सके, जोनल अधिकारी शशि भूषण
...बिना मंजूरी के बनाई गई थी और कई बार
...ने नियमों का उल्लंघन जारी रखा। एलडीए
...अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए यह
...की मदद से सुबह तक इमारत को पूरी

...को दे रखा था। वर्ष 2014 में ... कुमार की ... था। योगिता का कहना है कि 1 फरवरी को पसीटे ने उन्हें निर्माण सामग्री गिराए जाने की जानकारी दी। वह मौके पर पहुंची, तो उन्हें जमीन पर कब्जेदारी की होने की बात सामने आई। 1 फरवरी 2024 को कानपुर रोड पालखेड़ा स्थित पिपरसंड निवासी दीपक पाल ने सरोजनीनगर तहसील में उनकी जगह किसी दूसरी महिला को योगिता के तौर पर खड़ा कर रजिस्ट्री करा ली। पीड़िता ने तहसील जाकर पड़ताल की। सामने आया कि दीपक पाल ने 24 अक्टूबर 2024 को परवर पूरब गांव निवासी नीरज शुक्ला को जमीन की रजिस्ट्री कर दी। नीरज शुक्ला ने जमीन का इकरारनामा आलिमखेड़ा निवासी रतीश कुमार को कर दी। यह जानकारी मिलने के बाद योगिता व उनके बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गयी। योगिता ने बताया कि उन्होंने बिजनौर थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं किया। सरोजनीनगर तहसील कर्मचारियों की मिली भगत से उनकी जमीन को कूट रचित दस्तावेजों की मदद से धोखाधड़ी की गयी है। परेशान होकर योगिता ने गुरुवार को डीएम से मिलकर शिकायत की, साथ ही आईजीआरएस पोर्टल पर मुख्यमंत्री से भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।

फर्जी रजिस्ट्री में यह बने गवाह

लखनऊ। पूर्व पीसीएस अधिकारी की पत्नी के नाम दर्ज जमीन के फर्जीवाड़े में पूरा गिरोह है। योगिता की जगह महिला को खड़ा कर जो रजिस्ट्री कराई गयी है। उसमें प्रथम पक्ष यानि फर्जी योगिता का पता साउथ सिटी रायबरेली रोड डाला गया। पीड़िता का कहना है कि पति की मौत के बाद वर्ष 2014 में ही वह परिवार के साथ उत्तराखंड में रहने लगी। रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर उन्नाव जनपद के सरदारनगर निवासी शैलेन्द्र कुमार पुत्र स्व छेदापाल, बाराबंकी खान मोहम्मदपुर निवासी कौशल सिंह पुत्र कल्लू सिंह हैं। वहीं, दीपक पाल द्वारा नीरज शुक्ला को की गयी रजिस्ट्री में गवाह सरोजनीनगर के बहादुर खेड़ा निवासी नीरज कुमार पुत्र रामकुमार यादव व आलिमखेड़ा सरोजनीनगर निवासी रतीश कुमार पुत्र रामसेवक यादव बने। नीरज शुक्ला ने रतीश को किए गए इकरारनामा में गवाह के तौर पर नीरज कुमार यादव और सरोजनीनगर के राम सिंह खेड़ा माती निवासी दीपांकर पुत्र सुरेन्द्र कुमार बने हैं।

M.P.B. डिग्री कालेज

ग्रा कसमण्डीकला पो मलिहाबाद, जनपद लखनऊ

आवश्यकता है

प्राचार्य - 01 पद असिस्टेन्ट प्रो [illegible] विषयों हेतु

अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, [illegible]

वेतन एवं योग्यता [illegible]

मानकानुसार

आवेदन 20 अप्रैल तक [illegible] - E-mail ID mpbpublic@gmail.com

प्रबन्धक [illegible] मो न [illegible]

...बाइल फोन पाकर